अनुसूची 14– फारम सं0 562

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीखः– 05/12/2022 से 20/01/2023

जिला– बोकारो, संख्याः– 04/2022–2023

केस का प्रकारः– विविध वाद

आदेश की कम संख्या एवं तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

05/12/2022

आवेदक लालजी महतो पिता स्व0 चरक महतो, ग्राम+पो0 गोनियाटो, थाना पेंक (नारायणपुर), जिला बोकारो ने आवेदन दिया है कि मौजा गोनियाटो, खाता सं0 80, प्लॉट सं0 3159, रकबा 0.06 ए0 है जो विक्रय पत्र सं0 1843, दिनांक 19.10.2022 के द्वारा श्री जगदीश नायक, घनश्याम नायक पिता मानिकचन्द नायक, देवनारायण नायक पिता स्व0 टेकलाल नायक, जोगेन्द्रनाथ नायक पिता कालीचरण नायक ने श्री कार्तिक कुमार पाण्डेय पिता स्व0 लक्ष्मणदेव पाण्डेय, हाल मुकाम गोनियाटो गलत ढंग से बिक्री कर दिये है। उनके द्वारा उक्त भूमि के दाखिल खारिज पर रोक लगाने हेतु आग्रह किया गया है।

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्रभारी अंचल निरीक्षक द्वारा प्राप्त करें। नामित व्यक्ति को कागजात के साथ उपस्थित होने का नोटिस निर्गत करें।

05/12/2022

अंचल अधिकारी,
नावाडीह।

तदनुसार नोटिस निर्गत किया गया। अभिलेख दिनांक 20/01/2023 को उपस्थापित करें।

20/01/2023

अंचल अधिकारी,
नावाडीह।

20/01/2023 अभिलेख उपस्थापित।

तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। उभय पक्ष उपस्थित। हल्का राजस्व उपनिरीक्षक का जॉच प्रतिवेदन प्रभारी अंचल निरीक्षक द्वारा प्राप्त हुआ। उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा गोनियाटो, खाता सं0 80, प्लॉट सं0 3159, कुल रकबा 0.06 ए0 भूमि का जमाबंदी ऑनलाईन पृ0सं0 188/।। में गोकुल नायक पिता भिखारी नायक के नाम से कायम है। खतियान भिखारी तेली के नाम से रैयती दर्ज है। जमाबंदीधारी रैयत विकेतागण के दादा हैं। उक्त भूमि की दाखिल खारिज की स्वीकृति तीनों पक्षों की सुनवाई के पश्चात ही किया जा सकता है। उन्होंने यह भी प्रतिवेदित किया है कि आपत्तिकर्त्ता लालजी महतो के द्वारा आपत्ति पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत भूमि को विकेता के दादा (जमाबंदी रैयत) ने केता के दादा मानिकचन्द्र पाण्डेय को पुजा पाठ हेतु दान दिये थे। मानिकचन्द्र पाण्डेय आपत्तिकर्त्ता लालजी महतो के पिता स्व0 चरण महतो के लगभग 70–80 वर्ष पूर्व सादा केवाला किये थे। केता के द्वारा बतलाया गया है कि उक्त भूमि जो उन्हें उनके दादा को दान में प्राप्त था को आपत्तिकर्त्ता के पूर्वज तथा आपत्तिकर्त्ता उक्त भूमि पर अधबटाई के रूप में खेती करते थे। जिससे स्पष्ट होता है कि केता भूमि पर दखलकार है।

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

आपत्तिकर्त्ता के द्वारा संवत् 2001 सन् 1944 का सादा लिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा जमाबंदी संबंधी दस्तावेज यथा– पंजी ।।, रसीद इत्यादि कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे उनका दावा सिद्व होता हो। खतियानी रैयत के वंशज जगदीश नायक, घनश्याम नायक पिता स्व0 मानिकचन्द नायक, देवनारायण नायक पिता स्व0 टेकलाल नायक, जोगेन्द्रनाथ नायक पिता कालीचरण नायक के द्वारा क्रेता कार्तिक कुमार पाण्डेय को निबंधित दस्तावेज संख्या 1843, दिनांक 19.10.2022 के द्वारा उक्त भूमि बिक्री कर दिया गया है।

उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, उनके बयान, 36 ग्रामीणों द्वारा क्रेता के पक्ष में दाखिल खारिज करने संबंधी आवेदन एवं हल्का राजस्व उपनिरीक्षक तथा अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं आपत्तिकर्त्ता द्वारा दाखिल खारिज निरस्त करने संबंधी कोई भी वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने के कारण आपत्तिकर्त्ता के आपत्ति को खारिज किया जाता है। निबंधित केवाला का दाखिल खारिज पर रोक न लगा कर दाखिल खारिज स्वीकृत किया जाता है। असंतुष्ट पक्ष निर्णय के विरूद्व में सक्षम न्यायालय जा सकते है।

इसके साथ ही वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

ASinha 20/01/2023
अंचल अधिकारी,
नावाडीह।

ASinha 20/01/2023
अंचल अधिकारी,
नावाडीह।

Digitally signed by ASHOK KUMAR SINHA
Date: 2023.01.25 20:43:44 +05:30
Location: 192.168.85.197

Scanned with CamScanner